समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38** सन् **2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** सन **2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण/ब्यौरे	पृष्ठ
01.	आपत्ति पत्र	
02	नोटिस संख्या 33/2015–16, 34/2015–16 और 35/2015–16	5-7
02.	निर्माण रोको पत्र दिनांक 30.01.2020 **विनोद वंशकार**	8
03	निर्माण रोको पत्र दिनांक 21.09.2020 **रमेश वर्मा**	9
04.	अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिनांक 03.02.2022 **अर्जुन सिंह**	10
05.	हस्ताक्षर अभियान का शिकायती पत्र व फोटो	11
06.	**राहुल राजपूत** द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर दिनांक 12.01.2023	31-3[illegible]
07.	माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज की एक साथ फोटो	3[illegible]

दिनांक 06.03.2023

आवेदनकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38** **सन् 2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

श्रीमानजी,

निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में राहुल राजपूत द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2023 पर निम्नलिखित आपत्ति हैः—

1. यह कि राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मेंदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों के **कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे—भरे पेड़ काटकर** अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू—माफियाओं को संरक्षण देने और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली—पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने वाले माननीय माननीय झांसी सदर विधायक जी के लिए अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू—माफियाओं से सांठगांठ कराने और रुपयों के लेन देन का कार्य करते हैं, तथा माननीय झांसी सदर विधायक जी ने ही नगर पार्क की भूमि पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अवैध निर्माण कर विकसित की जा रही कॉलोनियों को बचाने एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कीमती समय बर्बाद करने के उद्देश्य से राहुल राजपूत द्वारा उपरोक्त प्रकरण में भ्रामक, असत्य, मनगढ़ंत तथ्य अंकित करवाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2023 प्रेषित कराया गया हैं।

2. यह कि झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में झांसी महानगर के पर्यावरण को स्वच्छ/संतुलन बनाये रखने हेतु लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण मिलीभगत से कई व्यक्तियों और भू—माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करते हुए पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिसकी कई वर्षों से लगातार शासन—प्रशासन एवं विकास प्राधिकरण में शिकायतें की जा रही है, अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू—माफियाओं से झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत होने तथा माननीय विधायक जी का दबाव होने के कारण उपरोक्त शिकायतों के क्रम में एक भी अवैध निर्माण कार्य न तो रोका गया है और न ही हटाया गया है।

3. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेशों के बावजूद झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करने के बजाएं, झांसी प्रशासन द्वारा इन अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को बचाने की साजिश करते हुए नगर पार्क के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों के सम्पूर्ण तथ्य, सच्चाई छुपाकर, मात्र खानापूर्ति के नाम मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठे तथ्य अंकित करते हुए माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष बार—बार झूठी, मनगढ़ंत, भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही जिसके क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा पैरवी तथा आपत्ति दर्ज करते हुए सही तथ्य माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित किए जा रहे है। जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मेंदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों पर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू—माफियाओं को संरक्षण देने और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली—पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने वाले माननीय विधायक जी और माननीय विधायक जी के लिए सांठगांठ कराने और रुपयों के लेन देन का कार्य करने वाले राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज हम याचिकाकर्ताओं से रंजिश रखने लगे और उक्त याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए साजिश के तहत हम याचिकाकर्ताओं पर जानलेवा हमला व झूठे मुकदमे दर्ज कराकर और झूठी शिकायत कराकर कार्यवाही कर दबाव बना रहे है, सिसके कारण याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी. एल भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव द्वारा उक्त याचिका में पैरवी करने से मना कर

दिया गया और **उक्त** याचिकाकर्ताओं ने मुझे भी ५रवी करने से रोकने के लिए दबाव बनाया तो मैंने कहा कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य इसलिए मैं अकेला ही उक्त प्रकरण में पर्यावरण को बचाने के लिए पैरवी करुगां। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के बाद से ही केवल मिन याचिकाकर्ता ही अकेला पैरवी कर रहा है।

4. यह कि **उक्त** नगर पार्क में आरक्षित आराजी संख्या 752, 753, 754, 755, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840 आदि की भूमि को आवासीय के रूप में विभाजित कर भूखंड बेचे जा रहे थे और उन भूखंडों पर अवैध निर्माण किए जा रहे थे जिसकी कई शिकायतें करने के बाद दिनांक 20.07.2015 को झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से मात्र खानापूर्ति के नाम पर कुछ भूखंड बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत नोटिस सं. 33/2015–16, 34/2015–16 और 35/2015–16 **जा**री कर वाद दायर किए गए थे। **इसके बावजूद उक्त नगर पार्क की भूमि को माननीय विधायक जी और अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय प्लाट के रूप में बेचा/खरीदा व अतिक्रमण किया जा रहा है तथा कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर अवैध निर्माण कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रहीं है। और माननीय विधायक जी द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराएं जा रहे हैं तथा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही रोकी जा रही है।**

5. यह कि **उक्त** नगर पार्क की भूमि पर **विनोद वंशकार** द्वारा लगभग 50.00 वर्ग मी. भूमि के भूतल पर भवन निर्माण हेतु लगभग 8 फिट ऊची दीवार खड़ी कर चिनाई का कार्य किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु विकास प्राधिकरण ने मात्र कागजी कार्यवाही की औपचारिकता करने हेतु दिनांक 30.01. 2020 को अवैध निर्माण रोको पत्र जारी किया था इसके बावजूद, विनोद वंशकार ने राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।

6. यह कि **उक्त** नगर पार्क की भूमि पर आकाशवाणी झांसीी में कार्यरत सरकारी कर्मचारी **रमेश वर्मा** द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु विकास प्राधिकरण ने मात्र कागजी कार्यवाही की औपचारिकता करने हेतु कई पत्र जारी किए गए। जिसका उल्लेख विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अवैध निर्माण रोको पत्र दिनांक 21.09.2020 में किया गया हैं, इसके बावजूद, **रमेश वर्मा** ने राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।

7. यह कि **उक्त** नगर पार्क की भूमि पर **अर्जुन सिंह** द्वारा लगभग 25**X**50 क्षेत्रफल भूमि के भूतल पर भवन निर्माण हेतु दीवार खड़ी कर चिनाई का कार्य किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु विकास प्राधिकरण ने मात्र कागजी कार्यवाही की औपचारिकता करने हेतु दिनांक 12.10.2021 को अवैध निर्माण रोको पत्र जारी किया था। जिसका उल्लेख विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अवैध निर्माण हटाओं आदेश दिनांक 03.02.2022 में किया गया हैं, इसके बावजूद, **अर्जुन सिंह** ने राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके उक्त निर्माण के साथ साथ अन्य कई निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।

8\. यह कि उक्त नगर पार्क में प्रस्तावित की गई निजी भूमि के साथ–साथ कई एकड़ सरकारी भूमि (**कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर**) पर पर कई व्यक्तियों ने माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके उक्त निर्माण के साथ साथ अन्य कई निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।

9. यह कि झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप की आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से नगर पार्क के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया गया है, उक्त नगर पार्क में प्रस्तावित की गई निजी भूमि के साथ–साथ कई एकड़ सरकारी भूमि (**कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर**) पर कई व्यक्तियों ने माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। **और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और**

सड़क आदि के विकास कार्य माननीय विध।यक जी द्वारा कराएं जा रहे हैं तथा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही रोकी जा रही है।

10. यह कि दिनांक 29.12.2022 को मा. विधायक जी के दबाव में साजिश के तहत जब नगर निगम के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर लक्ष्मी तालाब के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर और मस्जिद को हटाने की अवैध कार्यवाही करने पहुंचे तो माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज ने साजिश के तहत मीडिया (Teesri Ankh तीसरी आँख) में झूठा बयान दिया कि मंदिर और मस्जिद को हटाने की कार्यवाही मुझ प्रार्थी द्वारा कराई जा रही है ऐसे ही और कई गंभीर आरोप लगाए तथा **राहुल राजपूत ने ये भी स्वीकर किया कि विधायक जी के निर्देशानुसार हम लोग एनजीटी गए जब भी पूरे पिछोर में किसी को भी नोटिस इशू किया गया है किसी को भी ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है माननीय विधायक जी ने ही जेडीए के अधिकारियों से बात करके उन्हे रोका है।**

https://fb.watch/j1jgDO41g1/?mibextid=NnVzG8

Teesri Ankh तीसरी आँख • सब्सक्राइब करें •
29 दिस॰ 2022 ·

आखिर झाँसी मे मंदिर और दरगाह को तोड़ने को लेकर बबाल क्यों हुआ !... और देखें

11. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क को अतिक्रमण से मुक्त व विकसित कराने को लेकर विद्वान अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं प्रार्थी ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाकार शिकायती पत्र शासन–प्रशासन को भेजा था। जिस पर कार्यवाही न होने पर समाजसेवी श्री गिरजा शंकर राय व एड. श्री बी.एल. भास्कर व श्री प्रदीप कुमार नामदेव एवं प्रार्थी ने मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में शिकायत की गई थी, उक्त शिकायत पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व एड. बी.एल. भास्कर व नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किया गया है। तथा माननीय न्यायाधिकरण द्वारा नगर पार्क के साथ–साथ लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों का संज्ञान लेते हुए नगर पार्क और लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने के आदेश उक्त याचिका में पारित किए गए है।

12. यह कि सोशल मीडिया एवं शुभचिंतकों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय विधायक जी के कहने पर प्रशासन की मिलीभगत से राहुल राजपूत द्वारा दिनांक 12–01–2023 को थाना नबावाद झांसी में याचिकाकर्ताओं समेत प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार पर झूठा मुकदमा 18/2023 दर्ज कर एवं जानसे मारने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी करने से रोकने के लिए

याचिकाकर्ताओं से झूठे आरोप लगवाकर एवं झूठ मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता दबाव बनाया जा रहा है तथा माननीय न्यायाधिकरण के ई–मेल आईडी पर झूठी शिकायतें करवाई जा रही है।

13. यह कि माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत द्वारा दिनांक 12–01–2023 को थाना नबावाद झांसी में दर्ज एफआईआर 18/2023 में माननीय न्यायाधिकरण पर एक पक्षीय आदेश करने का आरोप लगाया है। **जब कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आख्या मगाकर पर्यावरण हित में आदेश पारित किए जा रहे है और इसके विपरीत माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत एवं प्रशासन द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु बनाई गई योजनाओं के विरुद्ध कार्य कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।**

14. यह कि पूर्व में भी प्रार्थी पर दबाव बनाने के लिए माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज ने प्रशासन की मिलीभगत से अवैध निर्माणकर्ता विनोद वंशकार के द्वारा प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

15. यह कि मानचित्र स्वीकृत में खर्च होने वाले शुल्क को बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर पर्यावरणीय नियम–कानून, नीतियों व उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 का घोर उल्लंघन करते हुए झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क की भूमि को माननीय विधायक जी और अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय प्लाट के रूप में बेचा/खरीदा व अतिक्रमण किया जा रहा है तथा **कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर** अवैध निर्माण कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रहीं है। **जब कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।**

16. यह कि माननीय विधायक जी और अधिकारियों की मिलीभगत से जानबूझकर पर्यावरणीय नियम–कानून, नीतियों व उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 का उल्लंघन कर झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराए जा रहे है।

17. यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने हेतु एवं हरित पट्टी, पार्क, आदि के भू–उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाएं जाने का माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार–बार आदेश जारी किए जा रहे हैं एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लगातार शासनादेश जारी कर दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं। तथा झांसी विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन कार्यवाही का प्राविधान है, इसके बावजूद भी झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने की कार्यवाही करने के बजाये घूस/सुविधा शुल्क लेकर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित करायीं जा रही है।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि राहुल राजपूत द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11. 02.2023 को खारिज करते हुए झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क के अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को हटाये जाने तथा उक्त नगर पार्क की भूमि **(कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर)** को आवासीय प्लाट के रूप में बेचने/खरीदने व अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू–माफियाओं तथा इन्हें संरक्षण देने एवं नियम कानून और आदेशों की अवज्ञा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollulor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 06.03.2023

याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

श्रीमती गीता देवी कुशवाहा
पत्नी श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा
निवासी– बाहर दतिया गेट,
झांसी (उ0प्र0)

संख्या 33 /जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 836, 836, 839, झांसी (उ0प्र0)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

मौजा पिछोर के गाटा सं0– 836, 836, 839 कुल 18 किता रकवा 4.010 हेक्टयर भूमि पर बिना ले आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विकय किया जा रहा है। स्थल पर भूमि का भूखण्डो के रूप में विभाजित कर विकय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नही दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-8-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहजा है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते है अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छह महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रू. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सन्तोष कुमार पत्रवाहक को इस आशय से वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

1. श्री के0आर0 टोकसे पुत्र श्री राधाकिशन टोकसे
   निवासी–होटल हाईवें के पीछे, सीपरी बाजार, झांसी।
2. श्री भगवानदास पुत्र श्री सुनके निवासी –ग्राम पिछोर झांसी।

संख्या 34 /जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 826 से 843 तक झांसी (उ0प्र0)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

मौजा पिछोर के गाटा सं0– 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, कुल 18 किता रकवा 4.010 हैक्टेयर भूमि पर बिना लेआउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विक्रय किया जा रहा है। स्थल पर भूमि का भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विक्रय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नही दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-8-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झॉसी विकास प्राधिकरण, झांसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहजा है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते है अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छह महीने तक कैद की सजा या जुर्मना जो एक हजार रू. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सन्तोष कुमार पत्रवाहक को इस आशय से वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी

झॉसी विकास प्राधिकरण, झांसी

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

1. श्री धमेन्द्र कुमार व श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम नाथ
   निवासी–उजयान मोठ झांसी।
2. श्री हरीदास व श्री भगवान दास नि0– ग्राम पिछोर झांसी।
3. श्रीमती लीला पत्नी श्री कन्हैया लाल नि0– होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झांसी।
4. श्री के0आर0 टोकसे पुत्र श्री राधा किशन टोकसे नि0– होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झांसी।
5. श्रीमती यासीन पुत्र श्री वसीर नि0– 7481, शिवाजी नगर झासी।
6. श्री अकरम पुत्र श्री यासीन नि0– 7481, शिवाजी नगर झासी।
7. अब्दुल करीम उर्फ सूके पुत्र श्री हाजी खुराबख्श नि0–141 अन्दर उन्नाव गेट झांसी।

संख्या 35/जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 753, 754, 753 818, 819, 820, झांसी (उ0प्र0)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 753, 754, 753 818, 819, 820, कुल किता 6 रकवा लगभग 1.882 हेक्टयर भूमि पर बिना ले–आउट प्लान स्वीकृत करायें अवैध रूप से भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विक्रय किया जा रहा है। स्थल भूमि को भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विक्रय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नही दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।
दिनांक 05-8-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
o/c झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

नोट :– (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–14 के अधीन आवश्यक है।) जो रू0 50,000/– (पचास हजार) तक बढ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रू0 2500/–(पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहजा है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा–25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकतें है अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छह महीने तक कैद की सजा या जुर्मना जो एक हजार रू. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सन्तोष कुमार पत्रवाहक को इस आशय से वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी
o/c

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

संख्या 255 /जे.डी.ए./अवैध निर्माण/(2019–20) दिनांक: 30-1-2020

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,

थाना **नवाबाद**, झाँसी।

खण्डीय अवर अभियन्ता की अनाधिकृत विकास/निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक **25.01.2020** के द्वारा सूचना दी गयी है कि **नवाबाद**, क्षेत्रान्तर्गत **श्री विनोद वशंकार पुत्र श्री उत्तम सिंह** पता–**मौजा पिछोर, गुमनावारा, झांसी (उ0प्र0)** के द्वारा स्थल–**मौजा पिछोर, गुमनावारा, झांसी (उ0प्र0)** में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 का उल्लंघन कर **लगभग 50.00 वर्ग मी0 भूमि पर भूतल पर भवन निर्माण हेतु लगभग 8'.00 उँची दीवारें खड़ी कर ली गयी हैं एवं दीवारों पर चिनाई का कार्य** कर अनाधिकृत विकास/निर्माण किया जा रहा है।

उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण/विकास के विरूद्ध प्राधिकरण में वाद सं0--255/19-20 संस्थित किया गया है। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-2-2020 नियत है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 28 (2) में निहित प्राविधानों के अधीन निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनाधिकृत विकास/निर्माण को तत्काल बलपूर्वक रूकवा दें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को लौटती डाक से अवगत भी करावें।

30.1.2020
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रतिलिपि–

1. क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि थाना पुलिस से समन्वय स्थापित कर निर्माण रूकवाना सुनिश्चत करें।

30.1.2020
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

1-2-2020

dara-27,28-new-246

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांकः– 193 /जे0डी0ए0–अवैध निर्माण/2020–21 दिनांकः–21.09.2020

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष
थाना–नवाबाद,
झाँसी (उ0प्र0)

श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार वर्मा, पता–पिछोर, थाना–नवाबाद, झाँसी द्वारा स्थल मौजा पिछोर, थाना–नवाबाद, झाँसी में अनधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन वाद संख्या–68/2018 झाँसी विकास प्राधिकरण बनाम् श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार वर्मा संस्थित करते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। तामीली कार्यवाही पत्रावली पर अवस्थित है।

उपरोक्त वाद में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 19.09.2020 को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि निर्माणकर्ता श्रीमती गिरजा देवी द्वारा पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर आर0सी0सी0 के कॉलम खड़े किये जा रहे है। तथा निर्माण स्थल से हटते ही निर्माणकर्ता द्वारा पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है।

एतदद्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(2) में निहित प्राविधानों के अधीन निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत स्थल पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तत्काल बल पूर्वक रोके जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या से भी अवगत कराएं।

/
(त्रिभुवन विश्वकर्मा)
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रतिलिपिः–1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–क्षेत्राधिकारी नगर(पुलिस), झाँसी को कार्यवाही हेतु।
3–क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, श्री घनश्याम तिवारी को उपरोक्त के क्रम में कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21.9.2020
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

155

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

वाद संख्या– 123–सचिव/2021–22

झाँसी विकास प्राधिकरण

बनाम–

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भगवान दास
पता–मुख्य मार्ग, ट्रांसफार्मर के पास,
महाराणा प्रताप नगर, पिछोर, झाँसी।

अन्तर्गत धारा 27 (1) उ0प्र0 नगर
नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973

:: निर्णय : –

खण्डीय अवर अभियन्ता की अनधिकृत निर्माण/विकास सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2021 प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि निर्माणकर्ता श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भगवान दास, पता–मुख्य मार्ग, ट्रांसफार्मर के पास, महाराणा प्रताप नगर, पिछोर, झाँसी द्वारा स्थल मुख्य मार्ग, ट्रांसफार्मर के पास, महाराणा प्रताप नगर, पिछोर, झाँसी में लगभग 25'×50' आकार के क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा एवं स्थल पर स्वीकृत मानचित्र न दिखाये जाने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन कारण बताओं नोटिस व धारा 28 के अधीन करार्य रोको आदेश कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त धारा के अन्तर्गत वाद संख्या–123–सचिव/2021–22 दर्ज करते हुए दिनांक 12.10.2021 को नोटिस जारी किया गया, जिसमें सुनवाई की तिथि 27.10.2021 नियत की गयी। निर्गत नोटिस की तामीला निर्माणकर्ता श्री अर्जुन सिंह द्वारा स्वयं की गयी। तामीली शुदा नोटिस कार्यवाही पत्रावली पर अवस्थित है।

नियत तिथि 27.10.2021 को विपक्षी उपस्थित नही हुए। पुनः नियत तिथि 22.11.2021 को प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में बैनामा दिनांक 27.12.2008 एवं गृहकर जमा रसीद संख्या–160774/दि0–12.02.2021, विद्युत बिल जमा रसीद सं0–061663812271/दि0–22.05.2021 एवं जल संयोजन प्रमाण–पत्र सं0–2741/दि0–03.09.2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी तथा एक आदेश का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, कि उनके द्वारा अन्य कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने हैं।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध आख्या व अभिलेखों/आपत्ति एवं साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भगवान दास द्वारा प्रस्तुत बैनामा के अनुसार मौजा पिछोर की गाटा सं0–839 में निर्माण किया गया है। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की अनाधिकृत निर्माण/विकास सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2021 में प्रश्नगत स्थल का झाँसी महायोजना–2021 में भू–उपयोग "नगर पार्क" अंकित है। निर्माणकर्ता/प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिससे झाँसी विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग के प्रतिकूल अनुज्ञा प्रदान किया जाना नियमानुसार हो। तदानुसार विपक्षी द्वारा महायोजना–2021 में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विरूद्व नोटिस में वर्णित सम्पूर्ण निर्माण अवैध है, जिसे हटाया/गिराया जाना आवश्यक है।

– : आदेश :–

एतद्द्वारा मैं सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा–27 (1) में अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि नोटिस संख्या 123/2021–22 में वर्णित सम्पूर्ण निर्माण/विकास कार्य को निर्माणकर्ता/प्रतिवादी आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर स्वयं हटा/गिरा लें अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को हटाने/गिराने की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लायी जायेगी। अवैध निर्माण को हटाए/गिराये जाने पर आने वाले व्यय को बकाया भू–राजस्व की भाँति विपक्षी/अवैध निर्माणकर्ता से वसूल कर लिया जायेगा। इस आदेश की एक–एक प्रति विपक्षी/अवैध निर्माणकर्ता, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन को अनुपालनार्थ तथा एक प्रति प्रभारी निरीक्षक, थाना नवाबाद को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनांक–03.02.2022

3.02.22

(त्रिभुवन विश्वकर्मा)
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

TRUE COPY
Clerk, J.D.A.
JHANSI

झाँसी विकास प्राधिकरण

सेवा में,   दिनांक   2020

1 माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार।

द्वारा श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी।

2 श्रीमान मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3 श्रीमान प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ. प्र. शासन।

विषय - झांसी महायोजना के अंतर्गत झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क की भूमि पर नगर पार्क विकसित करने के बजाय कराय जा रहे अवैध निर्माणों के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से झांसी महायोजना के अंतर्गत ऐतिहासिक लक्ष्मीताल के निकट आरक्षित किए गए नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नगर पार्क विकसित कराने के बजाय भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण / अवैध निर्माण करवाकर समस्त झांसी नगर वासियों को स्वस्थ वातावरण पाने के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है जिसकी ओर हम समस्त झांसी नगरवासी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत झांसी महायोजना 2001 एवं वर्तमान झांसी महायोजना 2021 के अंतर्गत झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से 84 एकड़ के ऐतिहासिक लक्ष्मीताल के निकट स्थित राजकीय उद्यान नारायण बाग को शामिल करके नारायण बाग से लगी हुई भूमि पर लगभग 460 एकड़ क्षेत्र को नगर पार्क के लिए आरक्षित किया गया है, **झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उक्त नगर पार्क की भूमि को पर्यावरण एवं पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है।** झांसी महायोजना में आरक्षित उक्त नगर पार्क की भूमि पर सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमण / अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में कई शिकायतें की गई इसके बावजूद झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण और झांसी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा न तो उक्त अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों के विरुद्ध रोकने व हटाने की कार्यवाही की जा रही हो और न ही उक्त नगर पार्क को विकसित किया जा रहा है। जब की झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण और झांसी नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर उक्त अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय भू माफियाओं को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से उक्त नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण / अवैध निर्माण कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में अवैध रूप से बिजली, पानी, रोड आदि का विकास कार्य कराकर झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क की महत्वपूर्ण झांसी महायोजना को प्रभावित कर झांसी के पर्यावरण को प्रदूषित युक्त करने का षड्यंत्र कर रहे है।

.....2

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के और महायोजना में अंकित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी भू उपयोग की भूमियों में अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जानबूझकर संबंधित विभागों के माध्यम से शासकीय योजनाओं के तहत पर्यावरण नियम कानून और नीतियों का उल्लंघन कर एवं सरकारी धन का दुरुपयोग कर अवैध रूप से झांसी महायोजना के तहत नगर पार्क में आरक्षित नारायण बाग से लगी हुई भूमि में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में नाली, सड़क व बिजली और पानी की सप्लाई के लिए विकास कार्य कराकर झांसी शहर के पर्यावरण को और झांसी महायोजना को प्रभावित कर रहे है। इस सम्बंध में अधिकारियों के समक्ष शिकायत पत्र भी प्रेषित किए गए है।

महायोजना और विनियमित क्षेत्रों में प्रस्तावित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी की भू उपयोग की भूमियों पर किये जा रहे एवं किये गए अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों की रोकथाम और हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय और मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर किये गए वादों में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन व अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में उ. प्र. शासन की ओर से दिशा-निर्देश दिये गए एवं कई महत्वपूर्ण / नीतिगत शासनादेश जारी किये गए है, इसके बावजूद झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त नगर पार्क की भूमि पर किये गए व किये जा रहे अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों को न तो रोका जा रहा है और न ही हटाने कार्यवाही की जा रही है।

झांसी महायोजना के अंतर्गत नगर पार्क में आरक्षित नारायण बाग से लगी हुई उक्त भूमि में अवैध रूप से प्लाटिंग कर किए जा रहे अवैध निर्माणों का कारण पार्क, खुले स्थानों को उ. प्र. पार्क, प्लेग्राउण्ड और खुले स्थान (संरक्षण और विनियम) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत अधिसूचित न करना व अवैध निर्माणों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन प्रभावी कार्यवाही नहीं करना एवं नगर पार्क विकसित नहीं करना है। एक मामले में मा. उच्च नयायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-1495/2008 विवेक कुमार मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को पारित आदेश को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास को अधिनियम की धारा 3 का अनुपालन कराने के सम्बंध में निर्देशित किया गया था। इसी आदेश का पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन कराने हेतु शासनादेश संख्या-259रिट/नौ-7-11-14/7रिट/2010 नगर विकास अनुभाग-7 दिनांक 23 जून 2011 को उ. प्र. पार्क, प्लेग्राउण्ड और खुली जगह के विनियम और नियन्त्रण के सम्बंध में शासनादेश जारी किया था। परन्तु इस शासनादेश के अनुसार आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे ही एक और मामले में जनहित याचिका संख्या-42463/2015 कुमारी जोया जुनैद बनाम उ. प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई 2015 को पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं खुली जगहों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके सम्बंध में निदेशक स्थानिय निकाय, उ. प्र. लखनऊ ने पत्र संख्या-3/246-2170/144-रिट/2015 दिनांक 21 मई 2016 के द्वारा उ. प्र. पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह (विनियम और नियन्त्रण) अधिनियम 1975 एवं नियमावली 2005 के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर सूची मांगी गई थी, परन्तु कोई वास्तविक कार्यवाही नहीं

....3

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

हुई। ऐसे ही एक मामले मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या - 380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत संघ समेत अन्य में दिनांक 19 दिसंबर 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-डब्लू-09/08-3-19-206 विविध/2018 टी.सी. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 16 जनवरी 2019 को प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा विनियमित क्षेत्रों को अपने अपने अभिकरणों में प्रभावी महायोजना में अंकित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी भू उपयोग के अनुसार भूमि का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण गाटा संख्या खसरा संख्या, आंराजी संख्या जिले के जिलाधिकारी / स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराएं जाने तथा तैयार की गई सूची को जन जागरुकता की दृष्टि से समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा जहां जहां पार्क व हरित पट्टी की भूमि स्थित हो पर होडिंग बोर्ड लगाया जाय तथा समस्त अभिकरणों द्वारा अपनी अपनी बेवसाइट पर भी अपलोड कराय जाने के निर्देश जारी किए गए थे, एवं प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत महायोजना में निर्धारित ग्रीन बेल्ट व पार्क भू उपयोग के विरुद्ध हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोकने हेतु तत्काल सर्वे कराकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। परन्तु झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से आज तक शासन के दिशा-निर्देश का और शासनादेशों का अनुपालन तथा क्रियान्वयन नही किया गया है और न ही कोई कार्यवाही की गई है। इस सम्बंध में अधिकारियों के समक्ष शिकायत पत्र भी प्रेषित किए गए है।

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य लक्ष्मीताल के निकट झांसी महायोजना 2021 के अंतर्गत नगर पार्क के लिए आरक्षित की गई भूमि पर पार्क विकसित नहीं करने एवं उ. प्र. पार्क, खेल के मैदान और खेल के स्थान (संरक्षण और विनियम) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत अधिसूचित न करने व नगर पार्क में आरक्षित उक्त भूमि पर बोर्ड न लगाने के कारण और झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भू माफियाओं से मिलीभगत होने के कारण ही नगर पार्क में आरक्षित उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करके एवं कराके झांसी महायोजना 2021 के विरुद्ध शहर के स्वरूप को विरुप करके पर्यावरण को विकृत किया जा रहा है।

श्रीमान जी यहां यह उल्लेखनीय है कि झांसी शहर के बच्चों के मानसिक विकास एवं बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने और शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क में आरक्षित की गई भूमि में पार्क विकसित किया जाना अति आवश्यक है। यदि लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क में आरक्षित की गई भूमि में किए जा रहे अवैध निर्माणों को हटाकर नगर पार्क विकसित नहीं किया गया तो निश्चित ही नगर पार्क में आरक्षित की गई भूमि में अवैध प्लॉटिंग व अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के होसले बड़ते जायगें और सरकार द्वारा झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से झांसी महायोजना 2021 के अंतर्गत आरक्षित किए गए उक्त नगर पार्क का उद्देश्य विफल हो जायेगा जिसके कारण झांसी का वातावरण प्रदूषित होता जायेगा और झांसी शहर के बच्चों के

....4

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

मानसिक विकास एवं बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने का और शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने का संभव कार्य भी असंभव हो जायेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने का यह अधिकार संविधान में प्रदत्त है तथा सरकार एवं सरकारी एजेंसियां का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे नागरिकों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएँ एवं पर्यावरणीय प्रदूषण होने के कारणों की पूर्व कल्पना करें और उनसे पर्यावरण की सुरक्षा करें।

अतः श्रीमान जी से निवेदन / प्रार्थना है कि शासन स्तर के उच्चाधिकारियों की एक जांच टीम गठित कर झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य लक्ष्मीताल के निकट झांसी महायोजना 2021 के अन्तर्गत नगर पार्क के लिए आरक्षित की गई भूमि पर किए गए एवं किए जा रहे अवैध निर्माणों को हटवाकर जनता के लिए सुन्दर नगर पार्क विकसित करवाएं एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले और अवैध निर्माण करवाने में संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से प्रार्थीगणों को भी अवगत कराने की कृपा करें।

दिनांक 2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान मंडलायुक्त / अध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।
2. श्रीमान जिलाधिकारी झांसी उत्तर प्रदेश।
3. श्रीमान उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।
4. श्रीमान नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम झांसी।
5. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

06/11/20

6 NOV 2020

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	ए० के० कनौजिया (वरिष्ठ पत्रकार) मो० 9807130415	ए.के. कनौजिया
3	[illegible]	[illegible]
4	नरेन्द्र कुशवाहा (पत्रकार एवं आर०टी०आई० कार्यकर्ता) मो० 9452041523	नरेन्द्र कुशवाहा

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

5

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
5	सरमेश कुमार	[illegible]
6	रमेश सिंह	[illegible]
7	Vaibhav Bhargava	[illegible]
8	Intezar Mehdi	[illegible]
9	Hemant Kumar Tiwari	[illegible]
10	Harish chandra	[illegible]
11	राजेन्द्र कुमार पाठ	[illegible]
12	पी. पी. त्रिपाठी	[illegible]
13	सुनीता केसरी एड०	Sunita Kesri
14	सुनील कुमार पटेल एड.	SKPatel Ad
15	शिवदयाल अहिरवार	ShivDayal
16	चन्द्रभान आर्य एडo	[illegible]
17	राजेन्द्र शर्मा एडo	[illegible]
18	शिवमंगल सिंह	[illegible]
19	Kapil Chaturvedi	[illegible]
20	संजीव कुमार चौधरी	[illegible]
21	Syed Afroz Ali	[illegible]
22	Pradeep vyas (Adv)	[illegible]
23	Manoj Kumar [illegible]	[illegible]
24	Akash Singh	[illegible]

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

.... 6

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

6

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण — दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
25	अमित कुमार [illegible]	[signature]
26	R. S. Agrawal	[signature]
27	M L Sharma Adv	[signature]
28	Nitesh soni	[signature]
29	[illegible]	[signature]
30	पवन कुमार शर्मा	[signature]
31	मुहम्मद [illegible]	[signature]
32	मनोज दुबे	[signature]
33	Manoj Mishra	[signature]
34	Khubchandra	[signature]
35	Ajay Srivastava	[signature]
36	M. D raut	[signature]
37	सुरेन्द्र कुमार [illegible]	[signature]
38	ओमप्रकाश [illegible]	[signature]
39	प्रभु दयाल [illegible]	[signature]
40	Lokendra Sharma लोकेन्द्र शर्मा एडवो	[signature]
41	[illegible]	[signature]
42	कुंवर बहादुर आदिम	[signature]
43	[illegible] Adv	[signature]
44	मंगेश रायकवार	मंगेश रायकवार

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

7

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनाक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
44	सन्तोष रायकवार	[illegible]
45	R.K.N.Deval (R.K.N.Deval)	[illegible]
46	K.C. Verma	K 23/10/20
47	सुलेमान	[illegible]
48	श्यामसिंह	Shyamsingh
49	नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी 250	[illegible]
50	रमेशचन्द्र यादव 250	[illegible]
51	[illegible]	
52	रामकुमार सिंह 250	
53	अशोक कुमार साहू	अशोक
54	पवन कुमार	पवन
55	अरविन्द कुमार	अरविन्द
56	Dheeraj Patel	Dheeraj
57	ओमप्रकाश	ओम प्रकाश
58	निखिल कुमार	Nikhil
59	BABULAL KUSHWAHA	Babulal
60	अमर चन्द	Amar Chand
61	Pramod Kumar	Pramod
62	Ram kumar	[illegible]
63	रामसिंह	रामसिंह

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

...8

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

8

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
64	रशीद कुरैशी	Rashid
65	नदीम	[illegible]
66	Dev	देव
67	हसन	कुरैसी
68	Shukky	Shainy
69	Abhishek Sharma	[illegible]
70	Avinash Sharma	[illegible]
71	अनिल गौड़	[illegible]
72	नन्द किशोर राव	[illegible]
73	दशरथ साहू	दशरथ
74	दिनेश कुमार	Dinesh
75	अंकित पाल	Ankit
76	सुरेश कुमार	सुरेश
77	राजू वर्मा	राजू
78	Rakesh Kushwaha	Raa
79	Mohit Kashyap	Kashyap
80	[illegible] Khan	[illegible]
81	Rohit	R Raikwar
82	राहुल कुमार	[illegible]
83	Jaya Thakur	Jaya Thakur

निवासी -- समस्त झांसी कचहरीवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

...9

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण दिनाक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम		हस्ताक्षर
84	MOHIT MISHRA	8853974734	Mohit Mishra
85	Prince Sen	6386153499	[illegible]
86	Harsh Keshwani	7054222202	[illegible]
87	GIRJA SHANKAR RAI	9935816550	Girjashankar
88	Shivam	8400340597	शिवम
89	rani Shiker	8874089441	rani Shiker
90	Md. Waqar		Waqar
91	Azhar		[illegible]
92	Rahul Singh		[illegible]
93	मोहित		मोहित
94	Shoaib		Shoaib
95	Kalam		कलाम
96	Zaki		Zaki
97	रोहित		रोहित
98	Ravi		रवी
99	मनोज यादव		मनोज
100	मनोज		मनोज
101	अर्पित	9026264435	अर्पित
102	Sandeep		संदीप
103	अदित		अदित

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
104	पिंटू रामप्रसाद	पिंटू
105	महेन्द्र ठाकुर	महेन्द्र
106	ANKUSH KUSHWAHA	ANKUSH
107	Sumit Kumar	[signature]
108	अमन कुमार	अमन
109	पंकी कुमार	पं. की
110	Rajkumar sharma	Raj
111	विनोद कुमार	विनोद
112	ARVIND KUMAR	ARVind
113	Rahul Ahirwar	Rahul
114	बाबू राम	बाबू राम
115	vishal	[signature]
116	Shekhar	Shekhar
117	[signature]	ज्योति
118	ज्योति	JOLRi
119	अली	Ali Ri
120	दीपक	[signature]
121	शिवम झा	शिवम झा
122	मनीष	मनीष
123	Samir	[signature]

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

.....11

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण दिनांक अक्टूबर 2020

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
124	Vivek Singh yadav	Vivek
125	Ashish Sahu	Ashish
126	Shivam Sahu	[illegible]
127	Antim mishra	Antim mishra
128	Devendra Kumar	[illegible]
129	उर्मिला अहिरवार	[illegible]
130	Neha	Neha
131	जयराम सिंह	जयराम सिंह
132	किशन यादव	किशन यादव
133	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
134	Om yadav	Om yadav
135	Raj Parete	Raj Parete
136	Ishika Mansoori	[illegible]
137	Anjali Khare	Anjali Khare
138	Rajneesh kumar	[illegible]
139	Rahul Prince	[illegible]
140	Rahul Vishwakarma	[illegible]
141	KRISHna yadav	[illegible]
142	Priyam Yadav	Priyam
143	Abhinav Sharma	Abhinav

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001 12

Sd/-
B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण दिनांक अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
144	Madhusudan Yadav	Madhu
145	राहुल मौर्या	राहुल
146	Sanjay Singh	Sanjay
147	राजीव वर्मा	Rajeev
148	रामनरेश यादव	रमनरेश
149	साहिल खान	Sahil
150	राकेश	राकेश
151	Sobran Singh	Sobran
152	रजनेश राम	Rajnesh
153	Shubham YADAV	Shubh
154	संजय श्रीवास्तव	Sanjay
155	सुरवीर यादव	[illegible]
156	अभय	Abhay
157	ARPIT	Ar
158	Shivani Yadav	Shivani
159	Ankita Yadav	Ankita
160	Anamika Sen	Anamika
161	Pooja Kushwaha	Pooja
162	Armaan Malik	Armaan
163	Krishanpal Singh Yadav	K

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

(13)

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण दिनाक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
164	रोहित नाहर	Rohit
165	Kumar Gaurav	Gaurav
166	2. देवेन्द्र ठाकुर	[illegible]
167	कुमार गौरव	[illegible]
168	Suman	Sum
169	Devendra	[illegible]
170	Sunil Kushwaha	Sunil
171	Ravikant	Ravi
172	Raj	Raj
173	सुनील कुमार	सुनील कुमार
174	Nikhil	[illegible]
175	Aman	Aman Rai
176	Adurya Rai 9453865605	Adurya Rai
177	Manish 9452146361	Manish
178	Y.K. SHARMA (Journalist)	Y.K. Sharma
179	शिरोमणि सिंह राठौर	[illegible]
180	पंकज कुशवाहा नगवारा संगठन	पंकज कुशवाहा
181	Ravindra Kumar	R...
182	Faraj Khan	Faraj Khan
183	Sameer Khan	[illegible]

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

.....14

BLAdv
B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

...नी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण — दिनाक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
184	Himanshu Kushwaha	[signature]
185	Aakash Kushwaha	आकाश
186	Sapan Yadav	Sapan
187	Chiku Rajpoot	[signature]
188	Subhas.	[signature]
189	Priyanshu	[signature]
190	Abhay	[signature]
191	Devendra Kumar	[signature]
192	Prashant Parihar	[signature]
193	Abhay Arya	[signature]
194	Bhanu Sahay	[signature]
195	[illegible] सिंह	[signature]
196	भगीरथ	भगीरथ
197	भगवानदास	भगवानदास
198	राकेश	राकेश
199	Mukesh Kumar	[signature]
200	Vipul Yadav	विपुल
201	[illegible]	[signature]
202	Arvind Sahu	[signature]
203	तुलसी अग्रवाल	[signature]

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

[signature]
B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

15

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
204	Rakesh Tiwari	[signature]
205	चन्द्रशेखर	[signature]
206	[illegible]	[signature]
207	[illegible]	[signature]
208	Mohammad Shafique	[signature]
209	Sajid Khan	[signature]
210	Sohail	[signature]
211	V. [illegible] Adv.	[signature]
212	Nasir Ali	[signature]
213	[illegible]	[signature]
214	Ravindra	[signature]
215	Amit Rawat	[signature]
216	कमलेश राय	कमलेश राय
217	रामवीर कुशवाह	रामवीर
218	[illegible]	[signature]
219	राहीश खान	[signature]
220	अशोक कुमार [illegible]	[signature]
221	राहुल शर्मा	Rahul
222	[illegible]	[signature]
223	बी.एल. भास्कर एड. अध्यक्ष बी.एल. भास्कर एड.	[signature]

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advoacte
Reg. No. 216/06

भारतीय डाक
India Post

RU2205[illegible]IN IVR:R2852204023[illegible]
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,06/11/2020,15:45
To:KSHETRIY ADHIKARI ,JHANSI
PIN:284001, Jhansi H.O
From:B.L. BHASKAR ,JHANSI
Wt:40gms
Amt:27.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

RU220407304IN IVR:R2852204073[illegible]
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,06/11/2020,15:45
To:MUKHYA SACHIV ,LUCKNOW
PIN:226001, Lucknow GPO
From:B.L. BHASKAR ,JHANSI
Wt:45gms
Amt:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

RU220402295IN IVR:R2852204022[illegible]
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,06/11/2020,15:45
To:PRAMUKH SACHIV ,LUCKNOW
PIN:226001, Lucknow GPO
From:B.L. BHASKAR ,JHANSI
Wt:40gms
Amt:27.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

महाविद्यालयों की जांच के नाम पर हो रहा उत्पीड़न

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों ने विरोध में बंद की संस्थायें

उद्योग हकीकत, झांसी

स्ववितत्त पोषित बीएड,एवं डीएलएड महाविद्यालय एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया शासन स्तर से महाविद्यालयों की छात्र वृत्ति के की जांच के आदेश दिये गये हैं। इसकी जांच के नाम पर महाविद्यालयों के प्रबंध तन्त्र का उत्पीड़न किया जा रहा है। छात्र वृत्ति के दस्तावेजोंकि साथ ही महाविद्यालयों के भू अभिलेखों ,मान्यता सम्बन्धी पत्रावली,शिक्षकों की योग्यता,संख्या व अन्य विन्दुओं की जांच मान्यता के समय ही कर ली जाती है। बार बार जांच कराने से शासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मान्यता के बाद शासन को जांच का अधिकार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जांच कर तीन दिन में आख्या मांगी गई है। जांच में भी भेदभाव बरता जा रहा है। कुछ कालेजों को टारगेट बनाया जा रहा है तो कुछ को छोड़ा जा रहा है। जांच में उरई व ललितपुर के कालेजों को छोड़ दिया गया है जबकि झांसी व बांदा के कालेजों को निशाना बनाया जा रहा है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी स्तर पर अनेक एनओसी दो दो साल तक लटकी रहती हैं। इसी के विरोध में महाविद्यालयों की हड़ताल चल रही है। पत्रकार वार्ता में सीवीसिंह, डा.रामचन्द्र पटेल,डा. एस के साहू, डा. वैभव गुप्ता, डा. बाबूलाल तिवारी, देवेन्द्र बख्शी, डा. शरद खरे आदि मौजूद रहे। प्राइवेट कालेजों के महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया ।

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं नहीं सुनी जाती

झांसी। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम झाँसी के जिलाध्यक्ष अशोक प्याल की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि नगर निगम जनता एवं जनप्रतिनिधि सफाई कर्मचारियोंसे सफाई व्यवस्था के नाम पर तमाम अपेक्षाऐं रखते हैं, परन्तु सफाई कर्मचारियों से विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त होने पर कोई आवाज नहीं उठाता है। स्वयं सफाई कर्मचारी संघर्ष करता है और स्वयं समस्या से घिरा रहता है। इसके बाद भी सफाई कर्मचारी की ओर न तो जनता का न ही विभाग और न जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता है। अशोक प्याल ने कहा कि नगर निगम कार्यालय के चपरासियों को सफाई हवलदार किस आधार पर बना दिया गया हैजबकि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी बताई जाती है। सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति पर कुठाराघात किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो अब बर्दास्त नहीं किया जायेगा। बैठक सियाराम महरौलिया, कुन्दनलाल नेता, मुन्नालाल करौसिया, सुभाष माते, राकेश करौसिया, रामजीसरन, कैलाश, ओम प्रकाश बड़े,भगवानदास कठिन, प्रमोद पहलवान, माधव, शम्भू ,नवलकिशोर, संजय पहलवान, जितेन्द्र विक्की, राजेश, भूरा पंडारिया, विशाल, संदीप कंजरयाआदि उपस्थित रहे। संचालन महेश पहलवान ने एवं आभार नरेश डगौर ने व्यक्त किया।

झांसी आरक्षित नगर पार्कों को विकसित किया जाये

गणमान्य लोगों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

उद्योग हकीकत, झांसी

झांसी महानगर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना में आरक्षित किए गए नगर पार्क को शीघ्र से शीघ्र विकसित कराए जाने की मांग को लेकर कचहरी चौराहे पर बड़ी संख्या में झांसी शहर के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों लोगों एवं नगर वासियों ने शीघ्र से शीघ्र ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट स्थित नारायण बाग के पास आरक्षित नगर पार्क विकसित किए जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रामसेवक अड़जरिया, राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, के.पी. श्रीवास्तव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार अशोक कनौजिया, नरेन्द्र कुशवाहा पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता, अजय श्रीवास्तव एडवोकेट , सुनील कुमार पटेल एडवोकेट, संजीव कुमार चौधरी शहर अध्यक्ष अपना दल, कुंवर बहादुर आदिम, पवन कुमार शर्मा, चंद्रभान आदिम एडवोकेट, सैयद अफरोज अली प्रदीप व्यास एडवोकेट, हनीफ खान पत्रकार, मनोज दुबे एडवोकेट, बड़ा गुरु, प्रभु दयाल कुशवाहा, मंगेश रायकवार, लोकेंद्र शर्मा एडवोकेट, ओम प्रकाश भोरीवाल एडवोकेट, सुरेंद्र श्रृंगऋषि डीजल सहित बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर मुख्यमंत्री जिला प्रशासन के साथ-साथ झांसी विकास प्राधिकरण से मांग की है कि ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट नारायण बाग एवं समीप के आसपास की लगभग 460 एकल भूमि पर शासन द्वारा वर्ष 1984 में झांसी महायोजना में नगर पार्क बनाने की योजना स्वीकृत थी एवं शासन द्वारा 2001और वर्तमान में झांसी महायोजना 2021 में भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से नगर पार्क बनाएं जाने की योजना स्वीकृत है फिर भी इतने लंबे अंतराल के बाद भी नगर पार्क को विकसित नहीं करना संदेह की तरफ इशारा करता है इसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

कार्यक्र...
डीआईजी...
तत्काल मु...
करने के...

उद्योग हकी...

झांसी थाना कोतव... डेस्क शुरुआत क... कमिश्नर, आईजी... निकले उसी वक्त... आई और न्याय क... मामला सदर था... महिला ने बताया... वालों ने उसे मारा... तेल डालकर जला... जिसकी शिकायत... में की लेकिन वहा... नहीं हुई महिला था...

कृति... महिल... एक्शन... काम...

अभिनेत्री कृ... सीन्स को देख... कहना है कि... महिला-केंद्रि... पसंद करेंगी।... मैं एक फीमेल... करूंगी। मैं न... पसंद करती... भी पसंद है। उ... हमेशा से एक... मैं कई तरह के... शामिल रही... बास्केटबॉल... खो-खो भी... को अपनी आ... इस ख्वाहिश... मिला है। यह... पुलकित सम्रा... संजीदा शेख...

स्वायत्ताधिकारी, मुद्रक प्रकाशक एवं प्रधान संपादक कमलेश गुप्ता द्वारा डीबी कार्प लिमिटेड 10-11 सेक्टर-बी, इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा भोपाल(म.प्र.) द्वारा, एव
स्थानीय संपादक:- अशोक गुप्ता *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र झ

ो की मोरंग खदानें

■डगमगाने लगे करोडों की लागत से बने स्योंढा पुल के पिलर

पडवार, आदि करीब दो दर्जन मोरंग खदानों से तकरीबन 250ट्रक मोरंग रोज निकाली जा रही है, इसी तरह करतल, नरैनी इलाके से एमपी की बरियारी, बिदुआ पुरवा, बंशिया, और अजयगढ तहसील छेत्र की करीब 15 मोरंग खदानों से प्रतिदिन 300 ट्क मोरंग बांदा की सडकों से फ्तेहपुर,कानपुर, सुलतानपुर, रायबरेली, आदि जिलों को ले जाई जा रही है, मोरंग ढोने वाले ट्रकों के पास यूपी खनिज विभाग का कोई वैध प्रपत्र नही होता, सब पुलिस और प्रशासनिक अफ्सरों को खुश करके मोरंग का कारोबार कर रहे है, यूपी की करोडों अरबों की लागत से बनी सडकें ओवरलोड ट्रकों की धमाचौकडी से ध्वस्त की जा रही हैं,फायदा भ्रष्ट अधिकारी और मोरंग माफिया का हो रहा है।

हाकी और डडे से पीटकर अधेड़ की हत्या

○पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार
○बचाने में मृतक की पत्नी और पुत्र भी घायल

बांदा। उधारी का रुपया लेने के लिए अधेड़ ने कर्जदार युवक की साइकिल अपने पास रख ली। इस बात की भनक लगने पर आधा दर्जन लोगो ने घर जाकर अधेड़ को हाकी और डंडों से पीट डाला। बचाने में पुत्र और पत्नी भी घायल हो गई। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, वहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में अधेड की मौत हो गई। जबकि घायल मां और बेटे का उपचार किया जा रहा है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दो नामजद हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

भागवत नगर निवासी 50 वर्षीय मथुरा प्रसाद यादव का मोहल्ले के ही संदीप दीक्षित से लेनदेन था। गुरुवार की रात संदीप साइकिल से हाइवे किनारे दुकान में सब्जी खरीदने आया था। वहां दुकान के सामने साइकिल खड़ी कर सब्जी खरीदी और पीछे मुड़ा तो उसकी साइकिल गायब थी। सब्जी विक्रेता ने संदीप को बताया कि मथुरा यादव उसकी साइकिल ले गया। संदीप अपने घर पहुंचकर बड़े भाई प्रदीप को बताया। इस पर प्रदीप और संदीप मथुरा के घर पहुंच गए और साइकिल ले जाने को लेकर बहस होने लगी। पलभर में ही लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी।

िनाख्त

ंगल में फंसी
के शव की
ने पंचनामा
ोस्टमार्टम के

लोगों ने केन
गे बबूल के
वक का शव
ते देखा तो
पर पहुंची
ाव को नीचे
से शिनाख्त
ी शव की
लिस ने शव
नवा दिया।
परिजनों ने
शव की

आरक्षित नगर पार्क को विकसित किया जाए : राजेंद्र शर्मा

झांसी। आज झांसी नगर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना में आरक्षित किए गए नगर पार्क को शीघ्र से शीघ्र विकसित कराए जाने की मांग को लेकर कचहरी चौराहे पर बड़ी संख्या में झांसी शहर के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों लोगों एवं नगर वासियों ने शीघ्र से शीघ्र ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट स्थित नारायण बाग के पास आरक्षित नगर पार्क विकसित किए जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रामसेवक अड़जरिया, राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, के.पी. श्रीवास्तव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार अशोक कनौजिया, नरेन्द्र कुशवाहा पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता, अजय श्रीवास्तव एडवोकेट , सुनील कुमार पटेल एडवोकेट, संजीव कुमार चौधरी शहर अध्यक्ष अपना दल, कुंवर बहादुर आदिम , मंगेश रायकवार, लोकेंद्र शर्मा एडवोकेट, ओम प्रकाश भोरीवाल एडवोकेट, सुरेंद्र श्रृंगऋषि डीजल सहित बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला प्रशासन के साथ-साथ झांसी विकास प्राधिकरण से मांग की है कि ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट नारायण बाग एवं समीप के आसपास की लगभग 460 एकल भूमि पर शासन द्वारा वर्ष 1984 में झांसी महायोजना में नगर पार्क बनाने की योजना स्वीकृत थी फिर भी इतने लंबे अंतराल के बाद भी नगर पार्क को विकसित नहीं करना संदेह की तरफ इशारा करता है इसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

चित्रकूट। जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति व नीति आयोग के बिन्दुओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने पिछली बैठक की आख्या नहीं भेजी, वह तत्काल उपलब्ध करायें।

शुक्रवार को कलेक्टेऊट सभागार में डीएम ने कहा कि जिले की रैंकिंग में कमी न आये। जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे को निर्देश दिये कि प्रत्येक बिन्दु की रैंकिंग पर फेकस किया जाये। जिस विभाग की प्रगति कम हो उसे पिरामल संस्थान व यूनीसेफ का सहयोग लेकर सुधार करायें। जिन विभागों को नीति आयोग ने धनराशि दी है उसका उपभोग प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करायें। शिक्षा विभाग के बिन्दुओं ने प्रगति न होने पर बेसिक शिक्षाधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये। सीएमओ के बैठक में गैरहाजिर रहने पर जवाब-तलब के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की समीक्षा कर कहा कि लॉकडाउन अवधि का खाद्यान्न एवं परिवर्तन ब्लाक रामनगर में कम होने पर खण्ड शिक्षाधिकारी रामनगर से जवाब-तलब करने के निर्देश दिये। शहर व रामनगर ब्लाक की समीक्षा कर प्रगति वितरण व अन्य बिन्दुओं पर ...

फोटो स्टेट
झाँसी शहर

झाँसी शहर
में आरक्षित नगर पार्क को
विकसित करवाने के लिये
अभियान

झाँसी शहर
में आरक्षित नगर पार्क को
विकसित करवाने के लिये
हस्ताक्षर अभियान

झाँसी शहर
में आरक्षित नगर पार्क को
विकसित करवाने के लिये
क्षर अभियान

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** झांसी **P.S. (थाना):** नवाबाद **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/01/2023 16:19 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	387

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2023 **Time (समय):** 16:19 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/01/2023 16:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 06 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): मु0 पिछोर गुमनावारा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री राहुल राजपूत

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री विजय सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7007923299

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	गिरजा शंकर राय			1. भट्टागाँव,सदर बाजार,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	नरेन्द्र कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
3	मुन्नालाल कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
4	अरबिन्द कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
5	वी0एल0 भास्कर			1. सीपरी बाजार,सीपरी बाजार,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
6	प्रदीप नामदेव			1. मोठ,मोठ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
7	अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी उप्र । विषय:- रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के सम्बन्ध में। महोदय, हम सभी लोग थाना नवाबाद अन्तर्गत पिछोर डियापुरा के निवासी है महोदय गिरजा शंकर राय निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार नरेन्द्र कुशवाहा निवासी-पिछोर थाना नबाबाद, मुन्ना लाल कुशवाहा निवासी पिछोर थाना नबाबाद, अरविन्द्र कुशवाहा निवासी- पिछोर थाना नबाबाद, बी एल भास्कर निवासी- सीपरी बाजार थाना सीपरी बाजार, प्रदीप नामदेव निवासी मोठ एवं अन्य लोगों ने एक गिरोह बनाकर पूरे गुमनावारा पिछोर इंडियापुरा को अवैध निर्माण बताते हुये सन् 2021 में माननीय एन0जी0टी0 कोर्ट में एक वाद दायर किया था जो गिरजा शंकर राय बनाकर उ0प्र0 सरकार है जिसमें हम मुहल्लेवासी वादी भी नहीं है जिसमें उन्होंने वहां से झूठे तथ्य पेश कर एक पक्षीय आदेश हम सभी मुहल्ले वासियों के खिलाफ कार्यवाही कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है उसी आदेश को दिखा दिखाकर यह सभी लोग घर-घर जाकर कहते है कि हमें 50-50 हजार रूपये दो नहीं तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा मैंने तुम लोगों मकान तुडवाने का एनजीटी से आदेश करा लिया है अगर तुम लोग उक्त रकम मुझे दे दोगे तो मैं पैरवी करना बन्द कर दूंगा अन्यथा तुम लोगों के मकान नहीं बचेंगे जिसकी वजह से मुहल्ले में निवासरत 1 श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव की हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो चुकी है एवं मुहल्ले में निवासरत सुदीप दीक्षित, विवेक कुमार रायकवार, वीर सिंह पाल, मिन्टू शिवहरे, रामकुमार झा, विनोद बेशकार उमेश नायक एवं अन्य कई लोगों के घर जाकर 50-50 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक- 12/01/2023 राहुल राजपूत पुत्र श्री विजय सिंह नि0- पिछोर गुमनावारा झांसी थाना नवावाद झांसी। मो0न0-7007923299 नोट- टाइपशुदा प्रा0 पत्र की नकल मुझ का0मु0 938 अवधेश कुमार के द्वारा अक्षरशः की गई है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ROHIT KUMAR **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 182394342 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUDHAKAR MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 902730379

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

Toilet Block, Public Facility

अवैध निर्माणकर्ता रमेश वर्मा जो आकाशवाणी झांसी में सरकारी पद पर कार्यरत है। राहुल राजपूत को कॉल कर रहा है।